एक नजर

शादी का झांसा देकर लूटी आबरू

इंदौर। राजगढ़ा इलाके में रहने वाली एक युवती के साथ एक मामलेमे मे गलत हरकत की है आरोपी ने शादी का झांसा दिया और कई बार उसकी आबरू लूटी पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम क्या बयान अली निवासी मुंबई बाजार कड़ाव लॉट है पीड़िता ने बताया कि आरोपी 2 साल से उसे शादी का झांसा देकर उसके दैहिक संबंध बना रहा था राजगढ़ा इलाके की एक मामले में लगातार उसका शोषण कर रहा था अब उसने शादी से मी इंकार कर दिया था।

नवविवाहिता की मौत में पति सहित तीन पर केस

इंदौर। आजाद नगर पुलिस ने एक नवविवाहिता की मौत के मामले में उसके पति सहित तीन लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है दरअसल दहेज के लिए उसके साथ जमकर मारपीट की गई थी जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी कि आई इंदौर निवासी के अनुसार पिछले दिनों अजनीन बी नामक युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी उसके परिजनों ने सूचना दी तो कार्रवाई से उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था पीएम रिपोर्ट के बाद अब उसके पति सलमान शाह सहित ससुराल की अफसाना बी और नरगीस बी के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध मौत

इंदौर। एक अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड कि कल संदिग्ध हालत में मौत हो गई । एक पेट्रोल पंप से उसे उसके दोस्तों ने घर पहुंचाया था घर पर वह आया और सो गया फिर नहीं उठ पाया । मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम जितेंद्र पिता बेरेश सिंह निवासी बिहार नगर मुशाखेड़ी है। उसके भाई मुकेश ने बताया कि वह हार्डिया हॉस्पिटल रोड में सिक्योरिटी का काम करता है । कल रोड बायपास के एक पेट्रोल पंप से मुकेश के पास फोन आया था कि जितेंद्र की हालत खराब हो रही है जितेंद्र को उसके दो दोस्त उसके घर तक छोड़ कर चले गए बाद में उसने नहाने की बात कही नहाने के बाद सो गया जब वह नहीं उठा तो उसका भाई उसे अस्पताल लेकर पहुंचा था। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया । जितेंद्र की मौत कैसे हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही खुलासा से पाएगा राउ पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद लिखी चोरी की रिपोर्ट

इंदौर। विजाल पेलेस में रहने वाले मोकुल पिता रामेश्वर यादव ने बाणगंगा थाने में चोरी का केस दर्ज कराने के लिए कई चक्कर लगाने पड़े। केस दर्ज नहीं किया तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। मोकुल ने बताया कि 30 जुलाई को उनकी सास का एक्सीडेंट हो गया था, वे उज्जैन देखने के लिए परिवार सहित मायकला नगर गए थे। 31 जुलाई की सुबह लौटे तो देखा कि दरवाजे का ताला टूटा है। घर की पर्स में ट्रैवल की किश्त के 20 हजार रुपये और मोबाइल रखा था, बदमाश उसे भी चोरी कर ले गए। पुलिस के पास पहुंचे तो उन्होंने आवेदन ले लिया लेकिन केस दर्ज नहीं किया। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो पुलिस ने केस दर्ज किया।

युवक ने जहर खाकर दी जान

इंदौर। द्वारकापुरी इलाके में एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। वह जुवाई का काम करता था । उसके परिवार वालों का आरोप है कि मकान खाली करवाने के लिए एक दलाल ने उसे धमकाया था । उसी से वह परेशान था। द्वारकापुरी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम कन्हैया पिता बद्री लाल निवासी साईं बाबा नगर है। कन्हैया के परिजनों का आरोप है कि उसे मुकेश नामक दलाल ने मकान खाली करने ,नहीं तो जान से मारवाने की धमकी दी थी ।

चोरी के माल से करते थे पार्टी

टांडा की गैंग का शातिर नकबजन इंदौर में पकड़ाया

नगर प्रतिनिधि

इंदौर । इन्दौर जिले की बाहरी सीमा मे लगे सूने व बंद मकानो मे चोरी करने वाली गैंग टांडा जिला धार से संबधित होकर लगातार सक्रीय है जो की टांडा धार से गैंग के रूप मे वारदात को अंजाम देने के लिए इन्दौर आते है और सूने मकानो मे रेकी कर घूमते रहते है या 2-3 दिन इन्दौर मे रूककर दैनिक मजदूरी कर अपना टारगेट तय करते है ।

क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त टांडा गैंग का एक शातिर चोर ठाकुर उर्फ ठकरिया भील लसुडिया क्षैत्र मे घूम रहा है एवं अगली चोरी की वारदात को करने हेतु रैकी कर रहा है । मुखबिर के बताए स्थान पर बताए हुलिए के संदिग्ध व्यक्ति को रोकने पर उक्त संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देख भागने लगा जिसे भाग कर घेराबंदी कर पकडा एवं उसका नाम पता पूछते उसने अपना नाम ठाकुर उर्फ ठकरिया उर्फ ठाकरा पिता स्व. रामलासिंह जमार नि. ग्राम बराड तह. कुक्षी थाना टांडा जिला धार का होना बताया । उसने अपने साथियो के साथ मिलकर सूने मकानो में रात्री मे ताला तोड कर चोरी करना कबूल किया। उक्त मकानों से चोरी किया गया नगदी तो इन सभी ने दारू मुर्गा एवं बकरे की पार्टी पर खर्च करना बताया एवं चोरी के आभूषणों को आपस मे सभी साथियों ने मिलकर बंटवारा कर लिया और जिसे बेचने की फिराक मे था ।

आरोपी ठकरिया उर्फ ठाकुर से प्रारम्भिक पुछताछ में उसने अपने साथियो 1. सजन उर्फ सजानिया पिता कुंवर सिंह जाति भिलाला नि. ग्राम पुनासा थाना टांडा जिला धार 2. मादलिया पिता केसरिया ओहरिया उम्र 30 साल नि. ग्राम बेलदा थाना टांडा जिला धार 3. ठाकुर उर्फ ठकारिया उर्फ ठकरा पिता स्व. रामलासिंह जमार नि. ग्राम बराड तह. कुक्षी थाना टांडा जिला धार का होना बताया । उसने अपने साथियो के साथ मिलकर चोरी करना कबूल किया। 4. जगदीश बारगी थाना बाग जिला धार 5. मनिया मानसिंह पिता नारायण जमरा उम्र -25 साल नि. ग्राम बराड थाना टांडा जिला धार 6. भारत डुडबे उम्र 26 साल नि. दातला थाना टांडा जिला धार , टांडा जिला धार के साथ मिलकर उक्त घटनाओ को अंजाम देना बताया है । आरोपी ठाकुर उर्फ ठकरिया निवासी टांडा धार से बरामद मश्रूका चांदी की कटोरीयां , चांदी की पायलें , चांदी की चेन , चांदी की गणेश जी की मूर्तीयां , चांदी की बिछिया , सोने की चेनें ,सोने की अंगूठीयां , सोने के कान के टापस , चांदी के सिक्के , चांदी की अंगूठी , सोने का पेंडल , सोने का मंगलसूत्र , सोने के कंगन , आदि आभूषण 10 से 15 तोला सोने के एवं 250 ग्राम चांदीं के कुल किमती मश्रूका लगभग 10 से 15 लाख रूपए का ।

उज्जैन से पकड़ाया चोर

पुलिस थाना मल्हारगंज क्षेत्र अंतर्गत फरियादी वे 43 रामनगर,जिला इंदौर घर की अलमारी में रखें सोने चांदी के आभूषण चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करई थी। फिर्यादी के संदिग्ध अनुसार आरोपिया की तलाश हेतु टीम उज्जैन रवाना हुई। पुलिस टीम द्वारा उक्त आरोपिया सोनू वर्मा पति दिलाल सोनी उम्र 32 साल निवासी 30 अवंतिका नगर उज्जैन को थाना मल्हारगंज पुलिस ने पकड़ कर आरोपिया से चोरी गए सोने चांदी के आभूषण जप्त कर वहं आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है । बाद माननीय न्यायालय से पीआर प्राप्त कर पूछताछ जारी है।

गोली चलाने वाला बदमाश पकड़ाया

इंदौर। पुलिस थाना मल्हारगंज पर आरोपियों द्वारा एक वाहन पर फायर कर फरियादी की हत्या करने का प्रयास किया गया था जिस पर थाना मल्हारगंज पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था। जिसमें मुख्य अभियुक्त लविश यादव पिता पप्पू यादव निवासी हम्माल कॉलोनी इंदौर व पप्पू यादव पिता कैलाश यादव निवासी सदर के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुआ था जिसमें आरोपियों की तलाश हेतु थाना प्रभारी मल्हारगंज द्वारा टीम तैयार कर लगाया गया था। टीम को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि लक्ष्मीबाई अनाज मंडी छोटा बांगड़दा मैन रोड इंदौर पर घटना से संबंधित आरोपी उपरोक्त स्थान पर खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए व स्थान पर जाकर देखा तो एक व्यक्ति पुलिस को देख कर इधर-उधर छिपने की कोशिश करने लगा जिसे हमराह फोर्स ने मुस्तैदी से पकड़ा एवं पूछताछ करने उपरोक्त संदिग्ध ने अपना नाम पप्पू उर्फ प्रदीप पिता कैलाश यादव निवासी 178 हम्माल कॉलोनी का होना बताया जिसकी तलाशी लेते आरोपी से जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

टाउनशिप में चल रहा था जुआ पुलिस ने दी दबिश

महिला थाना प्रभारी सिविल ड्रेस में पहुंची

इंदौर। राजेंद्र नगर पुलिस ने कल देर रात 7 जुआरियों को पकड़कर उनके पास से 1 लाख रुपए जब्त किए हैं। सभी जुआरी व्यापारी है। ट्रेजर टाउनशिप में रात को जुआ खेलने बैठे थे। पुलिस को जब सूचना मिली तो महिला थाना प्रभारी सिविल ड्रेस में दबिश देने पहुंच गई। और जाते सही कहा जिसे बैठे हो बैठे रहना कोई भी हिलेगा नहीं वह देखकर सभी जुवारी चौक गए थे।

राजेंद्र नगरथाना प्रभारी अमृता सोलंकी ने बताया कि ट्रेजर टाउन में एक फ्लैट में दबिश दी तो मौके पर सिंधी कॉलोनी और उसके आसपास व्यापार करने वाले दौलत लखानी निवासी ट्रेजर टाउनशिप, ललित निवासी साधु वासवानी नगर, विमल पंजाबी निवासी पाश्वनाथ कॉलोनी, निर्मल, रबि ठाकुर निवासी विदुर नगर, रूपचंद माखिजा और विजय कुमार मतलानी निवासी वीरसावरकर नगर को पकड़ा। इनके पास से करीब एक लाख की नकदी और ताश के पत्ते मिले। ये सभी शराब की पार्टी भी कर रहे थे। मौके पर जैसे ही थाना प्रभारी अमृता सोलंकी ने दबिश दी तो सभी जुआरी चौक गए। टीआईने कहां कि जो जंहां बैठे वहीं बैठे रहो। इसके बाद कार्रवाई कर दी। ज्यादातर व्यापारी के बारे में यह जानकारी लग रही है कि ये राजनीतिक से भी जुड़े है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ जुआं एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कह रही है।

जहरीली शराब से एक और मौत

अस्पताल में भर्ती युवक मोहन ने तोड़ा दम, सपना बार में पी थी जहरीली शराब

इंदौर। जहरीली शराब पीने से इंदौर में 6टी मौत हो गई है। बॉम्बे अस्पताल में भर्ती युवक मोहन सिंह चौहान ने गुरुवार दोपहर दम तोड़ दिया। जहरीली शराब पीने के बाद से ही मोहन की हालत गंभीर बनी हुई थी। उसके हाथों में हलचल के अलावा शरीर में दूसरा कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। इसके साथ ही वह ना तो किसी को पहचान पा रहा था और ना ही किसी को देख पा रहा था। मोहन के परिजनों के अनुसार उसके इलाज पर 5 लाख रुपए से अधिक पैसा खर्च हो चुका है और बिल की कुछ राशि बकाया होने पर बॉम्बे अस्पताल ने शव परिजनों को सौंपने से इंकार कर दिया है।

परिजनों के अनुसार महेश नगर में रहने वाले मोहन सिंह चौहान ने 24 और 25 जुलाई की रात सपना बार में शराब पी थी। उसके बाद से ही मोहन की हालत खराब थी। उसे उपचार के लिए बॉम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मोहन पंजाब नेशनल बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत था। उसके 7 और 4 साल के दो बेटे हैं। वह कभी-कभी शराब पीता था और उस दिन वह अपने दोस्तों के साथ सपना बार गया था। गौरतलब है कि 24 से 27 जुलाई के मध्य शहर के पैराडाइज और सपना बार में जहरीली शराब पीने से 5 युवकों की मौत पहले ही हो गई थी।

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विश्व बैंक योजना जसवाड़ी रोड खंडवा में श्री/श्रीमती निधी सोनी पिता सुभाषचंद सोनी को भवन/भूखंड क्रमांक ए-496 पूर्ण मूल्य भुगतान पर आवंटित है। आवंटी द्वारा उक्त भवन/भूखंड को विक्रय विलेख के माध्यम से श्रीमती देवकी बाई भवर पति गंगराम भवर को विक्रय किया गया है तथा इस कार्यालय में नामांतरण हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि को कोई आपत्ति हो तो मय ठोस प्रमाण के विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित रूप में पेश करें। इस अवधि पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा तथा भवन/भूखंड नामांतरण की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संपत्ति अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल संभाग खंडवा

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी, भीकनगांव में श्री पून्ना रामा को भवन/भूखंड क्रमांक ईडब्ल्यूएस-26 पूर्ण मूल्य भुगतान पर आवंटित है। आवंटी द्वारा उक्त भवन/भूखंड को विक्रय विलेख के माध्यम से श्रीमती परवीन पति जाविद हुसैन को विक्रय किया गया है तथा इस कार्यालय में नामांतरण हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि को कोई आपत्ति हो तो मय ठोस प्रमाण के विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित रूप में पेश करें। इस अवधि पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा तथा भवन/भूखंड नामांतरण की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संपत्ति अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल संभाग खंडवा

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किशोर नगर खंडवा में श्रीमती संगीता राजेश देवकर और राजेश तुकाराम देवकर को भवन/भूखंड क्रमांक आईएस-208 पूर्ण मूल्य भुगतान पर आवंटित है। आवंटी द्वारा उक्त भवन/भूखंड को विक्रय विलेख के माध्यम से श्रीमती प्रियंका गंगराड़े पति राजेन्द्र गंगराड़े को विक्रय किया गया है तथा इस कार्यालय में नामांतरण हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि को कोई आपत्ति हो तो मय ठोस प्रमाण के विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित रूप में पेश करें। इस अवधि पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा तथा भवन/भूखंड नामांतरण की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संपत्ति अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल संभाग खंडवा

SATYA SHYAM TRADING LTD.

CIN : L51102MP1984PLC002664
Regd. Office : 110, Siyaganj, INDORE-452007 (M.P.) Ph. 0731-2533410, 2533602,
Website : www.satyashyam.com, E-mail : shyamsaty@rediffmail.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 47(1)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Saturday, the 14th August, 2021 at 02:00 P.M.** at the Branch Office of the company at 4, Chittaranjan Avenue, Hindusthan Building, Kolkata-700072, interalia, to consider and approve Un-audited Financial Results for the First Quarter ended on 30th June, 2021. The said notice is also available at company's website: **https://www.satyashyam.com/** and Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEI) website at **https://www.msei.in** or **https://mylisting.msei.in.**

For **Satya Shyam Trading Limited**
Sd/-
Shiv Prasad Agarwal (Managing Director)
DIN: 00545387

Date : **05.08.2021**
Place : **INDORE**

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाला गिरफ्तार

वीडियो बनाकर वायरल करने जान से मारने की धमकी देता था

इंदौर। महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करनें वालें आरोपी को उज्जैन से गिरफ्तार किया।

महिला थाना इंदौर पर पीड़िता ने आकर शिकायत की थी कि आरोपी प्रदीप साहू निवासी पवासा मक्सी रोड उज्जैन के द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया एवं वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर रुपए ऐठता है और किसी को बताने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे रहा है।

पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाश मे कई बार दबिश दी गई मगर आरोपी उज्जैन पवासा का रहने वाला था तथा शातिर किस्म का होने से पुलिस टीम को नही मिला। इसी दौरान कल मुखबिर के माध्यम से सूचना मिलने पर आरोपी के घर से काफी हिकमत अमली से आरोपी को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया। टीम के द्वारा कई माह से फरार आरोपी की गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई।

चाकू मारकर लूटा, मोबाइल पर मिस कॉल भी दिया लुटेरों ने

इंदौर। गांधीनगर इलाके में बीती रात एक व्यक्ति के साथ लूट की वारदात हुई है । तीन बदमाशों ने पेट्रोल मांगने के बहाने उसे रोका और चाकू मारकर लूट लिया। फरियदि का मोबाइल गिर गया था बदमाशों ने उस पर मिस कॉल भी दिया था। गांधीनगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी का नाम जगदीश पिता रघुनाथ लोवंशी निवासी बौहरा कॉलोनी राऊ है । फरियादी यशवंत सागर के एक कोल्ड स्टोरेज पर काम करता है । बीती रात वह काम पर जा रहा था नैनोद रोड श्मशान घाट के नजदीक उसे बाइक सवार तीन लड़कों ने रोका और पेट्रोल मांगा। फरियादी ने इनकार किया तो आरोपी उसका पीछा करने लग गए ।

लूट के बाद उधारी में करवाते थे जमानत

जेल से बाहर आकर लूट कर चुकाते थे उधारी के रुपए

इंदौर। विजयनगर पुलिस ने 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो कि पहले दोपहिया वाहनों की चोरी करते थे फिर चोरी की गाड़ी से ही लूट को अंजाम दिया करते थे पकड़े गए आरोपी इतने शातिर थे कि कोर्ट में पेशी के दौरान उधारी में जमानत की बात कर लेते थे और जेल से बाहर आते ही फिर लूट की वारदात कर अपनी पुरानी उधारी चुकाते थे। आरोपियों के पास से छह मोटरसाइकिल और वारदात में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी जब्त किए गए हैं।

विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि शहर में लगातार मोबाइल लूट और चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही थी। जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर खुफिया के जवानों को सक्रिय किया गया और 6 से शातिर बदमाश निलेश ठाकुर (19) , मनीष बिजौरे (19) ,संदीप वर्मा (22) अमन पिता गजानन (19) बिट्टू नवेरिया (28) महेश शर्मा (19) पुलिस की गिरफ्तार किया है। इंदौर सहित आसपास के कई इलाकों में लूट और चोरी की वारदातें कर चुके हैं पकड़े गए आरोपियों से जब पूछताछ की तो उनसे कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं।

तहजीब काजी के अनुसार आरोपी शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से पहले बाइक चुराते हैं और फिर दूसरे थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते थे चोरी की बाइक होने से पुलिस नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ी मालिक तक पहुंचता था लेकिन गाड़ी की चोरी की बात सुनकर आरोपी को ट्रेस नहीं हो पाते थे। गिरफ्त में आएशातिर बदमाशों ने पुलिस को बताया कि वह जब भी पकड़े जाते तो कोर्ट के अंदर वकीलों से उधारी में जमानत की बात कर लेते थे और जब जमानत हो जाती तो जेल से बाहर आकर फिर से लूट की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों ने इंदौर शहर के कई इलाकों में लूट की वारदात की है। मामले में जल्द और भी खुलासे होने की संभावना है।

डी. पी. आभूषण लिमिटेड

DP

CIN: L74999MP2017PLC043234
Regd. Office: 138, चांदनी चौक, रतलाम (म.प्र.)-457001, भारत
दूरभाष क्रमांक: +91-7412-490966, 408900, E-mail: accounts@dpjewellers.com; Website: www.dpjewellers.com

मुख्य बिंदु

विवरण	30-06-2021 को समाप्त तिमाही के लिए (Q1 FY2122 vs Q1 FY2021)
आय में वृद्धि	322%
ब्याज, कर और मूल्यहास से पहले आय में वृद्धि	53%
कर पश्चात शुद्ध लाभ में वृद्धि	31%

30-06-2021 को समाप्त होने वाले तिमाही के लिए समेकित अनअंकेक्षित परिणाम

(आंकड़े लाख में (रात्ति अंश आग को छोड़कर)

विवरण	समाप्त तिमाही के लिए		समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
	30-06-2021 अनअंकेक्षित	30-06-2020 अनअंकेक्षित	31-03-2021 अंकेक्षित
व्यापार से कुल आय	17,535.59	4,156.08	1,21,828.36
शुद्ध लाभ, (कर और असाधारण वस्तुओं से पहले)	572.37	435.14	3,663.53
शुद्ध लाभ, (कर से पहले और असाधारण वस्तुओं के बाद)	572.37	435.14	3,663.53
शुद्ध लाभ, (कर और असाधारण वस्तुओं के बाद)	426.44	325.19	2,740.19
कुल व्यापक आय (कर एवं अन्य व्यापक आय के बाद)	426.44	325.19	2,740.19
सामान्य अंश पूंजी (प्रति अंश रुपया 10/-)	2,225.49	2,225.49	2,225.49
संचय (पिछले वर्ष की अंकेक्षित तलपट के अनुसार पुनर्मूल्यांकित संचय को छोड़कर)			7,482.45
प्रति अंश आय (जारी और बंद किए गए व्यापार के लिए)			
मूल: (समाप्त तिमाही के लिए, बिना वार्षिक किये)	1.92	1.46	12.31
मिश्रित: (समाप्त तिमाही के लिए, बिना वार्षिक किये)	1.92	1.46	12.31

टिप्पणियाँ: - (1) उपरोक्त वित्तीय परिणाम सेबी (सूचि निर्धारण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ दायर वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक भाग है। 30-06-2021 को समाप्त तिमाही के परिणाम NSE की वेबसाइट www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.dpjewellers.com पर उपलब्ध हैं। **(2)** उपरोक्त वित्तीय परिणाम, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (इंडऐएस), भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत और सेबी द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों सहित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (संशोधित) के विनियम 33 के अनुसार (जहाँ तक लागु हो) तैयार किए गए हैं। **(3)** मानक वित्तीय परिणामों की अतिरिक्त जानकारी निम्नानुसार है।

(आंकड़े लाख में)

विवरण	समाप्त तिमाही के लिए		समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
	30-06-2021 अनअंकेक्षित	30-06-2020 अनअंकेक्षित	31-03-2021 अंकेक्षित
व्यापार से कुल आय	17,535.59	4,156.08	1,21,828.36
शुद्ध लाभ, (कर से पहले और असाधारण वस्तुओं के बाद)	572.43	435.14	3,669.55
शुद्ध लाभ, (कर और असाधारण वस्तुओं के बाद)	426.51	325.19	2,746.21

दिनांक: अगस्त 05, 2021
स्थान: रतलाम

डी. पी. आभूषण लिमिटेड
-एसडी -
संतोष कटारिया, पूर्णकालिक निदेशक, DIN - 02855068

5848DN